



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940

No. 78]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSA 17, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

का.आ. 83(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में, निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अध्यधीन और आगे आदेशों के होने तक, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 32 के अधीन सरकार की शक्तियों का, इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में प्रयोग, अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्र के यथास्थिति उप-राज्यपाल या प्रशासक द्वारा भी किया जाएगा।

अनुसूची

- (1) संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह;
- (2) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़;
- (3) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली;
- (4) संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव;
- (5) संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली;
- (6) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप; और
- (7) संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी।

[फा. सं. 6/6/2014-वी.आई.एस. (भाग III)]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2019

S.O . 83(E).—In pursuance of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers of the Government under section 32 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) shall, in relation to the Union territories specified in the Schedule appended to this order, be exercised also by the Lieutenant Governor or Administrator, as the case may be, of the respective Union territory.

SCHEDULE

- (1) Union territory of Andaman and Nicobar Islands;
- (2) Union territory of Chandigarh;
- (3) Union territory of Dadra and Nagar Haveli;
- (4) Union territory of Daman and Diu;
- (5) Union territory of National Capital Territory of Delhi;
- (6) Union territory of Lakshadweep; and
- (7) Union territory of Puducherry.

[F. No. 6/6/2014-BIS (Pt. III)]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.